प्रारुप—30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Pi thoragarh (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pighoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. Dr. Vijay Kumar I.A.S deputy commissioner Pithoragarh on dated 25-11-20 at time 4.30....at Pithoragarh in which application claiming rights in area measuring 5.175 Hect. for the construction of for **Dobat To Ranthi** Motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Dharchula** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Pithoragarh
Dated:..25-11-2020

जिलाधिकारी
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Lev

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या 902/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में दोबाट रॉथी हल्का वाहन मार्ग का विस्तारीकरण निर्माण कार्य । (लम्बाई 0.000 से 7.075 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम – रॉथी
तहसील–धारचूला, जिला–पिथौरागढ़
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या 902/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में दोबाट रॉथी हल्का वाहन मार्ग का विस्तारीकरण निर्माण कार्य । (लम्बाई 0.000 से 7.075 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.990 हे0 सिविल सोयम भूमि, शून्य हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 5.175 हे0 वन भूमि का निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विशय में ग्राम पंचायत-रॉथी द्वारा दिनांक 18-01-20 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृशि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पश्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृशि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रॉथी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–

ग्राम प्रधान

प्रधान, ग्राम पंचायत रॉथी
मापासिंह

E:\Amin\Dobahat~Rathi Mr

प्रपत्र–23.1 1.6

दिनांक:– 10-01-20 को ग्राम सभा की सामान्य बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत:– राथी

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिश्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	[illegible] उ.पु – भूपाल सिंह क्षेत्र पंचायत सदस्य	[signature]
2	प्रिया वार्ड 8	प्रिया
3	मेशराम वार्ड नं० 10	[signature]
4	उदय सिंह	[signature]
5	कृष्णसिंह	कृष्णसिंह
6	मनोज सिंह धामी	संतोष सिंह
7	गंगा सिंह	गंगा सिंह
8	अरविन्द धामी	[signature]
9	Lalit वार्ड नं० 5	Lalit
10	पान सिंह पूर्व सदस्य क्षेत्र पंचायत	Dhami
11	धरम सिंह धामी	[signature]
12	जयन्ती राथी दक्षिण 18 क्षेत्र पंचायत	जयन्ती
13	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
14	देवेन्द्र सिंह	[signature]
15	Nirayan Singh	Dhami
16	किशन राम	किशन राम
17	हरीश सिंह	Harish..
18	हंसराज सिंह	[signature]
19	रविन्द्र सिंह	RAVINDAR
20	मनोहर राम	[signature]
21	Pan Singh Dhami (Sarpanch)	[signature]
22		

[signature] J.E

[signature] सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग धारचूला

ह० /–

ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत राथी
Panchayati Raj
भागा सिंह

1.6

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या 902/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में दोबाट रॉथी हल्का वाहन मार्ग का विस्तारीकरण निर्माण कार्य । (लम्बाई 0.000 से 7.075 किमी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, धारचूला
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति,धारचूला

उपखण्ड धारचूला परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या 902/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में दोबाट रॉथी हल्का वाहन मार्ग का विस्तारीकरण निर्माण कार्य । (लम्बाई 0.000 से 7.075 किमी0) (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि,0.990 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 5.175 हे0 वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील धारचूला) की दिनांक 29-01-20 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अनिल कुमार शुक्ला उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री अनिल कुमार शुक्ला —उपजिलाधिकारी — धारचूला —अध्यक्ष
2– श्री नवीन चन्द्र पन्त —उप प्रभागीय वनाधिकारी— धारचूला [illegible] —सदस्य
3– श्री कुलदीप भट्ट —सहायक समाज कल्याण अधिकारी— [illegible] —सदस्य/सचिव
4– श्री मनोज सिंह ग्वाल —बी0डी0सी0 क्षेत्र — बौन —सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या 902/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में दोबाट रॉथी हल्का वाहन मार्ग का विस्तारीकरण निर्माण कार्य । (लम्बाई 0.000 से 7.075 किमी0) परियोजना हेतु 5.175 हे0 वनभूमि निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नवीन चन्द्र द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पश्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या 902/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में दोबाट रॉथी हल्का वाहन मार्ग का विस्तारीकरण निर्माण कार्य । (लम्बाई 0.000 से 7.075 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु 0.990 हे0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– धारचूला
जनपद पिथौरागढ

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

ग्राम पंचायत जुम्मा लक्ष्मी देवी
लक्ष्मी देवी 29.10.20
(लक्ष्मी देवी)
सदस्य क्षेत्र पंचायत
14-जुम्मा [illegible]
वि0ख0- धारचूला

क्षेत्र पंचायत
मनोज सिंह ग्वाल
मनोज सिंह ग्वाल
सदस्य क्षेत्र पंचायत 07- बौन
वि०ख०-धारचूला (पिथौरागढ़)
28/10/2020

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– धारचूला
जनपद पिथौरागढ

परियोजना का नाम :– प्रपत्र–23.2

मा0मु0घो0 सेख्या 902/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में दोबाट–रांथी हल्का वाहन मार्ग का विस्तारीकरण के निर्माण में पड़ने वाली 5.175 है0 वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र
खण्ड स्तरीय समिति,पिथौरागढ़।

अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा0मु0घो0 सेख्या 902/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में दोबाट–रांथी हल्का वाहन मार्ग का विस्तारीकरण लम्बाई 7.075 किमी0 (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.990 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 4.185 हे0 गैर मजूरबा भूमि अर्थात कुल 5.175 हे0 वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति, (जिला–पिथौरागढ़) की दिनांक 25-11-20 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री डॉ॰ विजय कुमार जोगदंडे, जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री डॉ॰ विजय कुमार जिलाधिकारी – पिथौरागढ़ – अध्यक्ष
2– श्री ———— प्रभागीय वनाधिकारी– पिथौरागढ़ – सदस्य
3– श्री डॉ॰ विद्याधर माण्डे समाज कल्याण अधिकारी– पिथौरागढ़ – सदस्य/सचिव
4– श्री Suresh Singh जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र – खेला 02 – सदस्य
5– श्रीमती [illegible] जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र – मेतली – सदस्य
6– श्रीमती पुष्पा देवी जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र – 04 नाचनी – सदस्य

सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि माननीय मा0मु0घो0 सेख्या 902/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में दोबाट–रांथी हल्का वाहन मार्ग का विस्तारीकरण के लम्बाई 7.075 किमी0 परियोजना हेतु 5.175 हे0 वनभूमि निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्वित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा मा0मु0घो0 सेख्या 902/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में दोबाट–रांथी हल्का वाहन मार्ग का विस्तारीकरण के निर्माण कि0मी0 7.075 परियोजना के निर्माण हेतु 5.175 है0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वनअधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

जिलाधिकारी
जिलाधिकारी (अध्यक्ष)
पिथौरागढ़
पिथौरागढ़।

पभागीय वनाधिकारी (सदस्य)
पिथौरागढ़।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य/सचिव
पिथौरागढ़
पिथौरागढ़।

जिला पंचायत
सदस्य(सदस्य)
सदस्य
जिला पंचायत खेला 02
धारचूला (पिथौरागढ़)

श्रीमती पंचायत सदस्य(सदस्य)
सदस्य जिला [illegible]
मेतली (पिथौरागढ़)

जिला पंचायत सदस्य(सदस्य)
पुष्पा देवी
जिला पंचायत सदस्य
04 नाचनी, पिथौरागढ़

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Pi thoragarh (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pighoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. Dr Vijay Kumar Jogdande I.A.S deputy commissioner Pithoragarh on dated 25.11.20 at time 11:30 at Pithoragarh in which application claiming rights in area measuring 5.175 Hect. for the construction of for **Dobat To Ranthi** Motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Dharchula** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Pithoragarh
Dated: 25-11-20

जिलाधिकारी
Deputy Commissioner cum-Chairman
District Lev

FORM-II

(For projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector

No---

Dated-25-11-20

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognitions of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 5.175 Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **P.W.D. Askote** (Name of user agency) for **Dobat To Ranthi Motor road** (Purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh District falls within jurisdiction for **Ranthi** village (s) in **Dharchula** tehsils.

It is further certified that:

the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 5.175 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consolations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of.... villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure......

the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.

जिलाधिकारी
Signature पिथौरागढ़
(Full name and official seal of the District Collector)